न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रेमाराम परमार, आर.ए.एस.

अपील संख्या 83/2018

हंसराज पुत्र हनुमान जाति बिश्नोई निवासी चक 11 जी.बी. तहसील श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर।

—अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार श्रीविजयनगर। —रेस्पोंडेंट

अपील अन्तर्गत धारा 225 राज.काश्त. अधिनियम 1955

विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी श्रीविजयनगर दिनांक 24.04.2018

उपस्थिति:–

श्री बलवंत बिश्नोई अभिभाषक अपीलार्थी
श्री महावीर धारणीया राजकीय अधिवक्ता

निर्णय दिनांक 22.06.2018

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रार्थी/अपीलांट ने उपखण्ड अधिकारी श्रीविजयनगर को एक प्रा.पत्र राज.काश्त.अधि. की धारा 251ए के तहत पेश कर चक 8 बी.जी.डी. ए के मुनं. 41 प.नं. 151/390 के कि.नं. 21, 22 में 2–2 बिस्वा रास्ता स्वीकृत करने का निवेदन किया। उक्त प्रा.पत्र पर नायब तहसीलदार जैतसर की रिपोर्ट तलब की गई। सुनवाई करने के पश्चात दिनांक 24.04.2018 को प्रा.पत्र खारिज कर दिया जिसके विरूद्ध अपीलार्थी ने यह अपील पेश की है।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में मुख्य रूप से अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि कि.नं. 21 व 22 शमशान की भूमि है जिसमें से रास्ता मंजूर होने से अपीलांट अपनी भूमि में प्रवेश कर सकता है। उक्त रास्ता के अलावा अपीलांट को अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है। इस आशय की रिपोर्ट नायब तहसीलदार द्वारा दी गई है। किन्तु अधी. न्यायालय ने

22/6/18

रिकार्ड का अवलोकन किये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अत निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश निरस्त करते हुए आवेदित रास्ता स्वीकार किया जावे।

राजकीय अधिवक्ता ने अपीलांट की बहस का समर्थन करते हुए कहा कि तहसील से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार रास्ता स्वीकृत किया जाता है तो उन्हें कोई एतराज नहीं।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

अपीलांट द्वारा शमशान की भूमि में से रास्ता स्वीकृत करवाने का निवेदन किया। राज.काश्त.अधि. की धारा 251ए में शमशान की भूमि में से कोई रास्ता स्वीकृत करने का कोई प्रावधान नहीं है जबकि वैकल्पिक रास्ता खेत में जाने के लिए मांग की जा सकती है। इसके अतिरिक्त शमशान हेतु भूमि ग्राम वासियों द्वारा स्वीकृत करवायी जाती है। अपीलांट द्वारा मात्र राजस्थान सरकार को ही पक्षकार बनाया है इस सम्बन्ध में ग्राम पंचायत/सरपंच को पक्षकार नहीं बनाना एक विधिक त्रुटि है। शमसान भूमि के साथ विपती हुई अन्य खातेदार की भूमि है जिससे रास्ता की मांग की जा सकती है। नियमों में इसी अनुरूप रास्ता स्वीकृत करने का प्रावधान है। तदानुसार अपीलाधीन आदेश में किसी प्रकार से हस्तक्षेप की गुंजाइस नहीं है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 22.06.2018 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रेमाराम परमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर